

न्यायालय-अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

संख्या-01 भीलवाडा राज.

-नोटिस-

क्रमांक:

14

दिनांक: 25.5.21

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 10/पी.आई./2021 दिनांक 24.05.2021 के अनुसरण में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक: 225/स्था/2021 दिनांक 24.05.2021 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 के अनुसरण में दिनांक 25.05.2021 से दिनांक 08.06.2021 तक अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों यथा जमानत प्रार्थना पत्र, रिमाण्ड मामले, ब्यादेश/स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहितागत कथन, मृत्यु कालीन कथन आदि ही सुनवाई के लिए जाएंगे।

अन्य ऐसे मामले जो अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं हैं उनको स्थगित कर, **comman dates** दी जाकर **cis** अद्यतन करना है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय एवं श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 25.05.2021 से दिनांक 08.06.2021 तक के कार्यदिवसों में सुनवाई हेतु नियत नियमित दिवानी, विविध दिवानी, (अंतरिम ब्यादेश/स्थगन मामलों के अलावा), निष्पादन प्रार्थना पत्र, नियमित आपराधिक, विविध आपराधिक (जमानत व सुपुर्दगी मामलों के अलावा) परिवाद आदि सभी मामलों में निम्नानुसार के अनुसार आगामी दिनांक नियत की जाती है-

क्र.स.	पूर्व नियत पेशी	दीवानी / निष्पादन मामले	अपराधिक मामलों	
			जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।	अन्य समस्त आपराधिक मामलों में है।
01.	25.05.2021	17.07.2021	08.06.2021	05.07.2021
02	26.05.2021	19.07.2021	09.06.2021	06.07.2021
03	27.05.2021	20.07.2021	10.06.2021	07.07.2021
04	28.05.2021	22.07.2021	11.06.2021	08.07.2021
05	29.05.2021	23.07.2021	11.06.2021	09.07.2021
06	31.05.2021	26.07.2021	14.06.2021	12.07.2021
07	01.06.2021	27.07.2021	15.06.2021	13.07.2021
08	02.06.2021	28.07.2021	16.06.2021	14.07.2021
09	03.06.2021	29.07.2021	17.06.2021	15.07.2021
10	04.06.2021	30.07.2021	18.06.2021	16.07.2021
11	05.06.2021	31.07.2021	19.06.2021	17.07.2021
12	07.06.2021	02.08.2021	21.06.2021	19.07.2021
13	08.06.2021	03.08.2021	22.06.2021	20.07.2021

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या -1 भीलवाड़ा राज.

क्रमांक:

215

दिनांक:

25-5-21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
2. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा।
3. नोटिस बोर्ड।
4. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय भीलवाड़ा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. कार्यालय प्रति।

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या भीलवाड़ा